Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर संभाग रायपुर को गरियाबंद जिले के गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत पाण्डुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि 19.391 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.178 हे.; कुल रकबा 24.569 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nawa Raipur

Date : 17 -08-2022

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–12/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/08/2022

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण ,वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for widening and Upgrading of Panduka, Jatamai Ghatarani, Gaydabri, Madeli, Mudagaon Road (Two Lane Public Road) area – 24.569 ha.**

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–1/115–748/451, दिनांक 15.02.2021 एवं पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–748/1523, दिनांक 05.07.2022 ।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर संभाग रायपुर का गरियाबंद जिले के गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत पाण्डुका, जतमई घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि 19.391 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.178 हे.; कुल रकबा 24.569 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हुआ है।	1
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी गरियाबंद द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक **–FP/CG/ROAD/35248/2018** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–1 आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18000 रूपये जमा कराया गया है।	2
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** गरियाबंद जिले के गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत पाण्डुका, घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि 19.391 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.178 हे.; कुल रकबा 24.569 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हुआ है।	3–4
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** दो लाईन मार्ग निर्माण एवं उन्नयन के परियोजना के लिए गैर वन भूमि रकबा 29.051 हे. प्रस्तावित है।	5
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर –** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	6–11
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप** – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	12–14

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
7	**प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव –** गरियाबंद जिले के गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत पाण्डुका, घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि 19.391 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.178 हे.; कुल रकबा 24.569 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। परियोजना की प्रशासकीय लागत 149.31 करोड़ बतायी गई है तथा वनों का घनत्व 0.5 तक है।	15–22
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप** – प्रस्ताव में संलग्न है।	23–29
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने का वचन पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने **हेतु** आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	30
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** गरियाबंद जिले के गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत पाण्डुका, घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि 19.391 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.178 हे.; कुल रकबा 24.569 हे. मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित है। इस हेतु प्रस्तावित रकबा आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।	31
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** यूजर एजेंसी का कथन है कि **पर्यावरण स्वीकृति** प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का यूजर का प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही भारत सरकार का राजपत्र असाधारण क्रमांक 10 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना भी संलग्न है ।	32 – 50
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के 3326 वृक्षों का विदोहन किया जाना है।	51–58
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस** – परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न है।	59–65
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) –राजस्व वन क्षेत्र** – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य नारंगी वन भूमि में किया जाना है। अतः गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि की आवश्यकता नहीं है।	66
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से नारंगी वन भूमि में होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास का नक्शा की आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी गरियाबंद एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	67
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दुगुने नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक 559 एवं 570 में 50.000 हे. में प्रस्तावित है। वनमंडलाधिकारी गरियाबंद द्वारा हस्ताक्षरित योजना प्रस्ताव में संलग्न है।	68–94
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** गरियाबंद परिक्षेत्र के नारंगी वन क्षेत्र बम्हनी "ए" कक्ष क्रमांक 559 में 20.00 हे. एवं 570 में के रकबा 30.503 हे. कुल रकबा 50.503 हे. क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है। उप वनमंडलाधिकारी गरियाबंद का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	95 – 96
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण** – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	97
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा।	98

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा।	99
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु कलेक्टर गरियाबंद का प्रमाण पत्र संलग्न है।	100–101
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है। वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	102
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	103
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	104
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्तावित क्षेत्र में किसी को उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	105
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक –** भाग–2 पर वनमंडलाधिकारी गरियाबंद द्वारा दिनांक 08.01.2020 को उनके द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। जो मुख्य वन संरक्षक, रायपुर द्वारा अनुशंसित है।	106 – 120
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	121–122
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम पंचायत मडेली, कुरूद, गाड़ाघाट, तौरेंगा, गायडबरी, पीपरछेड़ी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	123 –129
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** गरियाबंद जिले की कुल वन भूमि 1951.86 वर्ग कि. मी.. है।	130
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** गरियाबंद वनमंडल में 12 प्रकरणों के लिए 241.075 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	131
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत इस श्रेणी के वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत 01 प्रकरण रकबा 25.00 हे. व्यपवर्तित की गई है।	132
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर नहीं है। वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	133
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	134
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर गरियाबंद द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है।	135 –176

क्रमशः 4

Rajiv

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि का कलेक्टर गरियाबंद का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	177–179
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	180–181
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2 nd stage clearance – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	182
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – मार्ग निर्माण से भूमि क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी है। वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	183
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	184
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	185
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।	186–188
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** वन्यप्राणी क्षेत्र प्रभावित नहीं होने से अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	189
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण** – लागू नहीं।	190
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** डीजीपीएस सर्वे किया जा चुका है तथा आवेदित एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की वेब पर केएमएल फाईल अपलोड की गई है।	191

प्रकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 5

पृ.क्रमांक एफ–5–12/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22 /08/2022

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, ।

2.मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर छत्तीसगढ़ ।

3.वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद वनमंडल, छत्तीसगढ़ ।

4.आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

22.8.22

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग